न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/ 20/2018

रमनलाल पुत्र श्री छोटी जाति जाट निवासी ग्रांम बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 30.7.2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 8/18 शीर्षक सरकार बनाम रमनलाल ।

उपस्थितः–
1–श्री महाराज सिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

आदेश **दिनांक 13.9.2022**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ तहसीलदार नदबई के निर्णय दिनांक 30–7–2018 पेश की गई है। तहसीलदार नदबई ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2018 से अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 1010 रकवा 0.02 हैक्टेयर किस्म बा.1 सिवाय चक ग्रांम बरबारा से बेदखल किये जाने पेनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पो की तलबी एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो. की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1010 रकवा 0.02 हैक्टेयर अपीलान्ट के परिवार की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी है। तहसीलदार को खातेदारी की आराजी पर धारा 91एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1010 रकवा 0.02 गत खसरा नम्बर 625/0.16 का आबंटन पप्पू पुत्र मनोहरी को कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी के पिता स्व. छोटीसिंह पुत्र मलहा ने धारा 14(4) आंबटन नियमों के तहत ए.डी.एम. न्यायालय में आवेदन किया जो दिनांक 10.12.98 को स्वीकार किया जाकर पप्पू पुत्र मनोहरी को किया गया आंबटन निरस्त कर दिया गया, अपीलार्थी बोना फाईड क्लेम आफ टाईटिल पेन्डिग होते हुये तहत न्यायालय अपीलाधीन आदेश देने में त्रुटि की है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का मौका नहीं दिया है, अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए प्रकरण सक्ष्म न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में पेश किया गया है जो विचाराधीन है, जब विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

तो तहसीलदार को अपीलाधीन आदेश पारित नहीं करना चाहिये था। विवादित आराजी खुदकाश्त की आराजी है अपीलान्ट के बाबा बहोरी की मिलकीयत व खुदकाश्त में रही है। धारा 5(4) व 29(2) के प्रावधानुसार उन्हें इस आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने पत्रावली में शामिल न्यायालय ए.डी.जे नं.4 भरतपुर निषेधाज्ञा दिनांक 16.4.2019 की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि माननीय न्यायालय ने विवादित भूखण्ड पर पक्षकारान को जरिये निषेधाज्ञा से विवादित भूखण्ड की यथास्थिति बनाये रखने को पाबन्द किया हुआ है, मूल दावा अभी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश नियमों के खिलाफ पारित किया गया है, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी के रकवा 02 ऐयर पर ईधन, घूड़ा व मिट्टी डालकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी पर तहसीलदार नदबई ने अपीलान्ट अतिक्रमी के खिलाफ धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में अपना जबाब पेश किया है। राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी के बाबत आबादी की जमीन बताते हुये सिविल न्यायालय में प्रकरण दायर किया हुआ है, जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 के तहत माननीय ए.डी.जे. नम्बर–4 न्यायालय विवादित भूखण्ड पर दोनों पक्षकारान को मूल दावा के निर्णय तक मौका की यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश पाबन्द किया गया है।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकरान के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में शामिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 के तहत माननीय ए.डी.जे. नम्बर–4 भरतपुर के आदेश दिनांक 16.4.2019 में पारित निषेधाज्ञा एवं माननीय ए.डी.जे. नम्बर–4 भरतपुर विचाराधीन दावा का अवलोकन किया गया है। विवादित अराजी को लेकर न्यायालय आर.ए.ए.भरतपुर में विचाराधीन अपील का अवलोकन किया गया। माननीय ए.डी.जे. नम्बर–4 भरतपुर के आदेश दिनांक 16.4.2019 में पारित निषेधाज्ञा की परिप्रेक्ष्य में हम यह उचित पाते हैं कि अपीलाधीन दिनांक 30.7.2018 को स्टे किया जावे और माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में जो भी निर्णय हो तद्नुसार तहसीलदार नदबई कार्यवाही करे।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नदबई का अपीलाधीन दिनांक 30.7.2018 को स्टे किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में जो भी निर्णय हो तद्नुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर